न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–226/2014

उनवान

1. सुजा पिता धन्ना गुर्जर निवासी केसरपुरा तहसील हुरड़ा
2. जग्गू पिता धन्ना गुर्जर मृतक के स्थान पर
   2/1 गलकू बेवा जग्गू गुर्जर निवासी केसरपुरा
   2/2 भंवर पिता जग्गू निवासी केसरपुरा तहसील हुरड़ा
   2/3 अर्जुन पिता जग्गू निवासी केसरपुरा तहसील हुरड़ा
   2/4 ईश्वर पिता जग्गू निवासी केसरपुरा तहसील हुरड़ा
   2/5 महेन्द्र पिता जग्गू निवासी केसरपुरा तहसील हुरड़ा

–वादीगण

बनाम

1. भंवर पिता गोधा जाट निवासी बोर खेड़ा तहसील हुरड़ा
2. सांवर पिता गोधा जाट निवासी बोर खेड़ा तहसील हुरड़ा
3. महादेव पिता गोधा जाट निवासी बोर खेड़ा तहसील हुरड़ा

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता, वकील वादी

<u>वादपत्र अर्न्तगत धारा–183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–: निर्णय :–

दिनांक– 15.05.2017

(मोहर: सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा))

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

1. वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम बोर खेड़ा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 234 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।
2. प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी उन्होने उक्त आराजियात के दक्षिण दिशा की ओर 04 बिस्वा जमीन पर दिनांक 10.06.2012 को नाजायज रूप से कब्जा कर अपना आधिपत्य कर लिया और उक्त आरजी को उक्त आराजियात पर कब्जा कर लिया और उस पर अतिकमि की हैसियत से काबिज चले आ रहे है उसका उन्हे कोई कानून विधिक अधिकार नही है ।
3. वादी ने प्रतिवादीगण ने उक्त 04 बिस्वा आराजी से प्रतिवादीगण को अपना कब्जा हटा कर वादीगण को कब्जा सौपने बाबत कई

Scanned by CamScanner

बार तकाजा किया जिस पर वह टाला टूली का जवाब देते रहे और बिलआखिर दिनांक 10.04.2014 को मना कर दिया इसलिय उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने की नोबत आई ।

4. अन्त मे अंकित किया गया कि प्रतिवादीगण को आराजी नम्बर 234 की दक्षिण दिशा की 04 बिस्वा आराजी से बेदखल कराया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जाने की डिकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें ।
5. प्रस्तुत वाद पत्र याद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 30.09.2014 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रचारित किये गये ।
6. तत पश्चात प्रकरण आज लोक अदालत के समक्ष पेश हुआ वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत मे कराये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई । यक्त बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि आराजी मुतदावीया वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा नाजायज रूप से अतिकमण कर कब्जा कर रखा है । जिसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करवाये जाने के आदेश फरमाया जावें ।
7. मैने वकील वादी की बहस को सुना बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है । पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी संवत 2061 से 64 मौजा बोर खेड़ा तहसील हुरड़ा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 234 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ सुजा , जग्गू पिता धन्ना गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है ।
8. यहां वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात उनके खातेदारी की आराजियात है जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा नाजायज रूप से अतिकमण कर कब्जा कर रखा है । इसके विपरित प्रतिवादीगण का कोई जवाब नहीं कोई वाद का खण्डन नही कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नही ऐसी स्थिति मे वादीगण के वाद की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है ।
9. चूंकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 234 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि के वादीगण खातेदार है वादीगण का कथन है कि उनकी आराजियाज पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर अतिकमण कर रखा है इसके विपरित प्रतिवादीगण का कोई जवाब नहीं होने से दावा

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

स

वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश सुनाया जाना न्यायालय उचित समझता है कि

—:निर्णय:—

दावा वादी डिक्री किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा वोर खेड़ा तहसीली हुरड़ा की आराजी नम्बर 234 रकवा 02 वीघा 01 विस्वा भूमि के दक्षिण दिशा ओर मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात के 04 विस्वा भूमि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो उसे वेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
कैम्प कोर्ट गढ़वालो का खेड़ा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 226/2014

1. सुजा पिता धन्ना गुर्जर निवासी केसरपुरा, जग्गू पिता धन्ना गुर्जर मृतक के स्थान पर गलकू बेवा जग्गू गुर्जर, भंवर, अर्जुन, ईश्वर, महेन्द्र पिता जग्गू गुर्जर निवासी केसरपुरा तहसील हुरड़ा

–वादीगण

बनाम

1. भंवर,सांवर,महादेव पिता गोधा जाट निवासी बोर खेड़ा तहसील हुरड़ा

प्रेषिति:–

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री राजेश कुमार मेहता प्रतिवादी की ओर से XXX की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 15/05/2017 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है। दावा वादी डिक्री किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा बोर खेड़ा तहसीली हुरड़ा की आराजी नम्बर 234 रकबा 02 बीघा 01 विस्वा भूमि के दक्षिण दिशा ओर मौके पर जाकर नपती करें। यदि प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात के 04 विस्वा भूमि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 15/05/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा))

वादे के खर्चे

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वदी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	02	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस–तलबाना	02		6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:–	[illegible]7	00		00	00

Scanned by CamScanner